आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 34/2012** **राम रिसाल सिंह बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 337/आपूर्ति दिनांक 3.3.12 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित जॉच दल द्वारा दिनांक 15.11.2011 को राम रिसाल सिंह, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 07/07, पंचायत–सरेया, प्रखंड–बनियापुर के दुकान की जॉच की गयी थी। निरीक्षण के समय दूकान बंद पायी गयी तथा विक्रेता बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण विक्रेता के दूकान से संबंधित पंजियों की जॉच नहीं की जा सकी। विक्रेता के दूकान से सम्बद्ध कतिपय ए0पी0एल0 कूपनधारी उपभोक्ताओं द्वारा बयान दर्ज करायी गयी कि उन्हें विक्रेता के द्वारा 18 रूपये प्रति लीटर की दर से किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है, जो निर्धारित दर से अधिक है। उक्त अनियमितताओं के आलोक में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद बताते हुए अस्वीकृत कर दिया गया। उपरोक्त अनियमितताओं के आलोक में राम रिशाल सिंह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–सरेय, प्रखंड–बनियापुर की अनुज्ञप्ति सं0 07/07 को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी की पत्नी की अचानक	

सिरीयस तबियत खराब होने के कारण ईलाज हेतु वाराणसी चला गया था, जहाँ उनकी पत्नी को भर्त्ती कर लिया गया था, जिसके कारण दूकान बंद पायी गई थी, इसलिए अपीलार्थी अनुपस्थित था। यह भी बतलाया कि उक्त तिथि के पूर्व अपीलार्थी दूकान से संबंधित उठाव किए गए सभी सामग्रियों का पूर्ण रूप से वितरण कर चुका था। अपीलार्थी का स्टॉक शून्य था। साक्ष्य स्वरूप भंडार एवं वितरण पंजी की छायाप्रति संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया कि उपभोक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत कूपन पर किरासन तेल की मात्रा एवं मूल्य अंकित है। अपीलार्थी के द्वारा वितरण पंजी पर किरासन तेल प्राप्त कराया जाता है तथा कूपन पर अंकित राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त की जाती है। यह भी बतलाया गया कि स्पष्टीकरण में शिकायतकर्त्ता का नाम दर्ज नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं होता कि उपभोक्ता अपीलार्थी के दूकान से सम्बद्ध है। किसी अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा इस तरह की शिकायत अपीलार्थी को परेशान करने की दुर्भावना से की गयी है। इस तरह अपीलार्थी पर लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 877 दिनांक 22/8/14

प्रतिलिपि– SDO सह, छपरा को LCR मूल में संलग्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/8/14

वरि उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण।